# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास ..जेश कुमार मीणा, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या: 71/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

तुलसीराम पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी गुजवा की ढाणी, भीराना रोड हरिपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

## दावा बाबत उदघोषणा व रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति—

**1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।**

**नि र्ण य** **दिनांक — 20.09.2021**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियों ख.नं. 158 ता 161, 161/927, 162 ता 165 कुल किता 9 कुल रकबा 14.1400 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल भू.अ.नि. क्षेत्र लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों में वादी का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है, उक्त खातेदारी वादी के नाम तुलछाराम पुत्र घासीराम के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम है जो परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में वादी का नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम की जगह तुलछाराम पुत्र घासीराम दर्ज हो गया है जो गलत है तुलछाराम पुत्र घासीराम की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से तुलसीराम पुत्र घासीराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र घासीराम दर्ज हुआ है, जो गलत है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम है तथा तुलसीराम पुत्र घासीराम व तुलछाराम पुत्र घासीराम एक ही व्यक्ति है जो संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 158 ता 161, 161/927, 162 ता 165 कुल किता 9 कुल रकबा 14.1400 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल भू.अ.नि. क्षेत्र लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम तुलछा राम पुत्र घासीराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीया स्वय व अन्य सहखातेदार मांगीलाल पुत्र सेवाराम ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम तुलछा राम पुत्र घासीराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वाद के सर्मथन शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ख.नं. 158 ता 161, 161/927, 162 ता 165 कुल किता 9 कुल रकबा 14.1400 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का लोसल भू.अ.नि. क्षेत्र लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम तुलछाराम पुत्र घासीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम पुत्र घासीराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

... सीकर (राज.) मे अवस्थित है